

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर
(पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका)
केम्प-राजेश सुवालका

प्रकरण संख्या 2./2021

निर्णय दिनांक 29.10.2021.

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक
विद्यालय मटूनिया
सहाड़ा
तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चावण्डिया व भू0अ0नि0 कोशीथल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सहाड़ा/नायब तहसीलदार सहाड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मटूनिया तहसील सहाड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में खाता संख्या 251 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|---------|-------------|---|---|
| 1 | मटूनिया | 251 | राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटूनिया के नाम दर्ज आराजी न0 1233/2104 रकबा 0.40 हे0 किस्म गे0मु0 खैल मैदान रा0प्रा0वि0 मटूनिया के नाम दर्ज हैं। | राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटूनिया के नाम दर्ज आराजी न0 1233/2104 रकबा 0.40 हे0 किस्म गे0मु0 खैल मैदान दर्ज भूमि को विद्यालय कमोन्नत होने से उक्त भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय मटूनिया के नाम दर्ज की जाती है। |



प्रकरण संख्या 2./2021/

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सहाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय मटूनिया तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा। को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

(राजेश सुवालका)
प्रशासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर
दिनांक 29.10.2021

प्रशासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
गंगापुर (भीलवाड़ा)